निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 ज्येष्ठ 1944 (श0)

(सं0 पटना 379) पटना, सोमवार, 20 जून 2022

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

17 जून 2022

सं० 02 / एम0एम0–(बा0)–05 / 22–2806 / एम0—बिहार बालू खनन नीति, 2019 बालू का सतत् खनन पर्यावरणीय तरीकों से सुनिश्चित करने, निर्माण हेतु उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में बालू की उपलब्धता एवं रोजगार सृजन सुनिश्चित कराने हेतु बंदोबस्तधारियों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या–2650 दिनांक 14.08.2019 द्वारा अधिसूचित की गई है। उक्त नीति में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:–

i. कंडिका–6(ख)(iii) में शब्द समूह **'10 प्रतिशत'** को शब्द समूह **'25 प्रतिशत'** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ii. कंडिका–7(i) में शब्द समूह **'10 प्रतिशत'** को शब्द समूह **'35 प्रतिशत'** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

iii. कंडिका–9(i) में शब्द समूह **'10 प्रतिशत'** को शब्द समूह **'25 प्रतिशत'** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

iv. कंडिका–9(iii) में भुगतान अनुसूची निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) कार्यादेश निर्गत होने के पहले (पहले वर्ष के लिए)। (ख) प्रथम वर्ष में कार्यादेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	03 महीना पूरा होने से पहले ।
तृतीय किस्त (25%)	06 महीना पूरा होने से पहले ।

v. उप कंडिका–9(iv) के बाद नया उप कंडिका–9(v) निम्न प्रकार जोड़ा जायेगा:–

''कंडिका–9(v)–प्रत्येक समानुदान वर्ष में बंदोबस्तधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्त की राशि के लिए पोस्ट डेटेड चेक संबंधित समाहर्त्ता के समक्ष जमा की जायेगी।''

vi. कंडिका–10 के प्रथम पंक्ति में शब्द समूह **'10 प्रतिशत'** को शब्द समूह **'25 प्रतिशत'** से प्रतिस्थापित किया जाएगा। द्वितीय पंक्ति में शब्द समूह **'अंतिम किस्त में समायोजित की जाएगी'** को शब्द समूह **'बंदोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद लौटायी जाएगी'** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

vii. कंडिका–16(ix) में शब्द समूह 'बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 एवं बिहार (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003' शब्द समूह 'बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

viii. कंडिका–17 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''**17. पर्यावरणीय अनापत्तियों की मंजूरी के लिए समय–सीमाः**–सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी स्वयं समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करेगा।''

ix. नया कंडिका–18(क) को निम्न प्रकार जोड़ा जायेगाः–

''18(क)–बंदोबस्ती समर्पण के मामले में समाहर्त्ता द्वारा बकाया भुगतान के लिए 21 दिन का नोटिस देने के बाद बकाया वसूली के लिए बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।''

x. कंडिका–23 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''**23. खनन योजनाः**–खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/Nabet से मान्यता प्राप्त RQP से तैयार कर निदेशक या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।''

इस पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज समानुदान धारक/ बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा।

2. यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

3. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 17th June 2022

No. 02/M0M0 –(BA)-05/22-2806/M.,—Bihar Sand Mining Policy 2019 has been notified vide notification number- 2650 dated 14.08.2019 to ensure that sand mining is done in an environmentally sustainable manner, to ensure the availability of adequate quantity of sand for construction at reasonable price and to increase number of settlees to ensure generation of employment. The following amendments in the said policy are hereby made:-

i. **In Clasue-6(iii), the word '10 percent' shall be substituted by the word '25 percent'.**

ii. **In Clasue-7(i), the word '10 percent' shall be substituted by the word '35 percent'.**

iii. **In Clasue-9(i), the word '10 percent' shall be substituted by the word '25 percent'.**

iv. **In Clasue-9(iii) payment schedule shall be substituted by following:-**

Instalments	Due Date of Payment
1st instalment (50%)	(a) Before issue of work order (for the 1st year). (b) Sixty days before completion of one year from date of work order during the 1st year followed by the same procedure in the consecutive years.
2nd instalment (25%)	Before completion of 3 months.
3rd Instalment (25%)	Before competition of 6 months.

v. **The following new sub clause 9(v) shall be added after sub clause 9(iv) of the policy: -**

"9(v) At the time of payment of the first instalment by the settlee in every concession year, the post-dated cheque for the amount of second and third instalment, shall be deposited to the concerned Collector."

vi. **In Clasue-10, the word '10 percent' in the first line shall be substituted by the word '25 percent'. The word 'adjusted in last installment' in the second**

line shall be substituted by 'refunded after the expiry of the period of settlement'.

vii. **In Clasue-16(ix), the word group 'Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 and Bihar Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2003' shall be substituted by the word 'Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019'.**

viii. **Clause 17 shall be substituted as follows**:
"**17. Timeline for sanction for environmental clearance:-**
The successful bidder/settlee shall himself obtain the environment and other statutory clearances in a time bound manner"

ix. **A new clause 18 (a) shall be added as follows :-**
"18(a) In case of surrender, after giving a 21 days notice for payment of dues by the Collector, proceeding shall be initiated under Bihar & Odisha Public demand recovery Act for recovery of dues."

x. **Clause 23 shall be substituted as follows:**
"**23. Mining Plan:- Successful bidder/settlee shall have to submit a Mining plan prepared by QCI/Nabet accredited RQP in accordance with the provisions mentioned in the rules in forceto the Director/Officers authorized by the Department for approval"**
The expenditure of the above shall be borne by the Mineral Concession Holder/ Settlee.

2. This Amendment shall come into force from the date of its publication in the Official gazette.

3. The Council of the Ministers has approved the proposal.

By order of the Governor of Bihar,
Diwan Jafar Hussain Khan,
Joint Secretary of the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 379-571+100-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in